संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन

जो अधिकार हर उम्र, हर वर्ग,हर नस्ल के लोगों को मिलते हैं उन्हे मानव अधिकार कहा जाता है। बच्चो को भी ये अधिकार मिलते हैं लेकिन बच्चो को कुछ खास तरह के अधिकार भी दिये गये है इन अधिकारो को बाल अधिकार कहा जाता है।

बाल अधिकार समझौते के कुछ पहलू ये है –

- यह समझौता 18 वर्ष की उम्र तक के बालक और बालिकाओ, दोनो पर समान रूप से लागू होता है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र में ही किसी का विवाह हो चुका है और उसके बच्चे भी है तो उसे बच्चा ही माना जाएगा।

- यह कनवेंशन " बाल हित " निष्पक्षता तथा बच्चे की राय के सम्मान " के सिद्वांत पर आधारित है।

- इस कनवेंशन में परिवार को एक महत्वपूर्ण में एक ऐसा महौल पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया गया है जो बच्चे के सही विकास और वृद्वि के लिए अच्छा हो

- यह कनवेंशन सरकार को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि वह बच्चों को हर तरह के भेदभाव से मुक्त रखे और उन्हे बराबरी की हैसियत दिलाए।

नागरिक, राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में यह कनवेंशन बच्चों के इन चार अधिकारो की ओर ध्यान आकर्षित करता है–

1 जीवन का अधिकार

- जीवित रहने का अधिकर – पैदा होने का अधिकार
- जन्म पंजीकरण का – नाम होने का अधिकार
- देश का नागरिक होना – माता–पिता होने का अधिकार
- प्रतिरक्षित होने का – रक्षा पाने का अधिकार

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अनुसार

- लिगं चयन करना
- लिगं चयन में किसी भी प्रकार की सहायता देना एवं लेना
- लिगं चयन दर्शित करने वाले संकेत देना
- लिगं चयन संबंधी विज्ञापनो का किसी भी प्रचार माध्यम से प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है आदि

प्रथम अपराध पर तीन वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये तक जुर्माना एवं द्वितीय अपराध पर 05 वर्ष तक सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

भारतीय दंड विधान (आईपीसी), 1860 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये निम्नलिखित कृत्य दंडनीय अपराध है।

- अगर किसी व्यक्ति के हाथो किसी की मृत्यु होती है(धारा 299 और धारा 300)
- किसी गर्भवती महिला को जाना– बुझकर ऐसी स्थिति में डालना जिसमें उसका अजन्मा शिशु मर जाए (धारा 312)
- बच्चें के मृत पैदा होने या जन्म के बाद मर जाने के इच्छा के साथ किया कार्य(धारा 315)
- किसी अजन्में शिशु की मृत्यु के हालात पैदा कर देना (धारा 316)
- 12 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड देना या खतरे में डालना (धारा 317)
- नवजात शिशु को फेंक कर या ढिकाने लगाकर उसके जन्म को छिपाना (धारा 318)

यह सजा दो साल की जेल या दोनो के रूप में हो सकती है।

2 विकास का अधिकार

- अच्छे स्वास्थय का अधिकार
- स्कूल जाने का अधिकार – गुणवत्ता शिक्षा पाने का अधिकार
- खेल खेलने का अधिकार – खाली समय पाने का अधिकार
- दोस्त होने का अधिकार – जगह होने का अधिकार व समाजिक बनने का अधिकार
- बचनप में देखभाल और सहायता का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- आमोद – प्रमोद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियो का अधिकार

बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लडके और 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है।
- यह कानून बाल विवाह के बंघन में बंधने में वाले बालक /बालिका को अपना विवाह शून्य घोषित कराने का अधिकार प्रदान करता है।
- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे आदेश का उल्लघंन करता है तो उसे दो वर्ष के कठोर कारावास अथवा जुर्माना तो कि एक लाख रूपये तक का हो सकता है या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।

- बाल विवाह से जन्मी संतान कानुन वैध होती है, भले ही वह विवाह कानुन की नजर में अवैध एवं शून्य करार दिया गया हो ।
- यदि किसी बालक को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है, फुसलाया जाता है अथवा विक्रय कर उसका विवाह कराया जाता है और अनैतिक प्रयोजनो के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसा विवाह अकृत और शून्य होगा अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

परिणाम

- 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि 18 वर्ष से कम आयु की महिला से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कढोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो सें दण्डित किया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है को 2 वर्ष का कढोर कारावास अथवा जुर्माना हो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों सें दण्डित किया जा सकता है।
- कोई व्यक्ति जो बाल विवाह को बढावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 2 वर्ष तक के कढोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक हो सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को कुछ खास खतरनाक व्यवसायो और प्रक्रियाओ में काम पर रखने पर पाबंदी लगाता है।

- UNCRC 1989 का अनुच्छेद 32 कहता है कि "सभी सरकारे बच्चो के मान्यता देगी कि उन्हे आर्थिक शोषण और खतरनाक या बच्चे की शिक्षा के लिए हानिकारक साबित होने वाले या बच्चे के शारीरिक,मानसिक,आध्यात्मिक नैतिक अथवा सामाजिक विकास व स्वास्थय के लिये हानिकारक साबित होने वाले कामों से बचाया जाना चाहिए।

3 संरक्षण का अधिकार

1. माता पिता या पालक के साथ रहने का अधिकार
2. बच्चे के किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार , उपेक्षा से रक्षा पाने का अधिकार
3. सुरक्षात्मक और अनुकूल वातावरण पाने का अधिकार
4. आपातकालीन या निः शक्तता आदि विशेष परिस्थति में विशेष सुरक्षा का अधिकार
5. संरक्षण के अधिकार को प्रभावित करते है

बाल यौन शोषण का अधिकार

बालयौन शोषण व बालतस्करी लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार

- प्रवेशन लैंगिक अपराधो के लिए दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तथा 16 वर्ष कम आयु के बालक के विरूद्ध प्रवेशन लैंगिक हमले के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
- गुरूवर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष से लेकर मृत्यु पर्यत आजीवन कारावास और जुर्मान अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
- लैंगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्मान तथा गुरूत्वर लैगिक हमले के लिए दोषी व्यक्ति को 5 से 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाता है।
- लैगिक उत्पीदन के लिए दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्मान से दण्डित किया जा सकता है।अश्लील प्रयोजनो के लिए बच्चो के उपयोग के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्वि की स्थिती में न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता हैं
- किसी बच्चे के साथ हो रहे यौन र्दुव्यवहार की जानकारी छुपाना एवं उचित प्राधिकार को सूचित नही करने के दोषी व्यक्ति को कम से कम 6 माह तक के कारावास या जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्वि की स्थिति में न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्मान से दण्डित किया जा सकता है।
- किसी बच्चे के साथ हो रहे यौन र्दुवयवहार की जानकारी छुपाना एवं उचित प्राधिकारी को सूचित नही करने के दोषी व्यक्ति को कम से कम 6 माह तक के कारावास या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 354 की उपधारा ,A,B,C एव D के अंतर्गत महिलाओ एवं बच्चियो का यौन शोषण (अप्रिय शारीरिक संपर्क , हेतु मांग या अनुरोध यौन टिप्पणी या उनका पीछा करना, अश्लील तरीके से देखना आदि कृत्य) करने पर दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष 7 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है

मानव व्यापार

बच्चो की खरीद फरोख्त कई कामो के लिए की जाती है खरीद फरोख्त के कुछ कारण इस प्रकार है

- यौनशोषण –जबरन वेश्यावृत्ति , समाजिक और धार्मिक मान्यताओ की आड में वेश्यावृत्ति सेक्स टुरिज्म और पोनॉग्राफी /अश्लील सामग्री बनाने के लिए
- गैर कानूनी काम – भीख मंगवान , अंग व्यापार , नशीली दवाई का व्यापार और तस्करी

- मजदूरी – बंधुआ मजदूरी , घरेलू नौकरी , कृषि श्रमिक , निमार्ण कार्य , कालीन / परिधान उद्योग , हीरो की कटाई , झीगे की खेती आदि।
- मंनोरजन और खेल –ऊॅट दौड और सर्कस
- अवैध रूप से गोद लेने और देने के लिए
- अवैध रूप से विवाह करने और कराने के लिए बच्चो खरीदा और बेचा जाता है

विभिन्न प्रकार बाल व्यापार से निपटने के लिए I.P.C सहित कई कानूनो में प्रावधान है। ये कानून निम्न है

- भारतीय दंड सहिता 1860 • जे.जे. एक्ट • बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम 1976
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 • अभिभावकता एवं सरंक्षण अधिनियम 1890
- हिंदू दत्तकता एवं भरण पोषण अधिनियम 1956
- अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 यथा संशोधित 1986
- सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000
- मादक पदार्थ अवैध व्यापार निषेध अधिनियम 1988
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989)
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994
- छत्तीसगढ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2013)

4 सहभागिता का अधिकार

1. बच्चो को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलो पर अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार है और व्यवस्को का कर्तव्य है कि गंभीरता से उन्हे सुने
2. बच्चें की सोच का सम्मान करना
3. बच्चें को सहीं सूचनायें देना
4. वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

ये सभी अधिकारो को दो हिस्सो में बांटा जा सकता है।

1 तात्कालिन
2 प्रगतिशील

1 तात्कालिन अधिकार

ऐसे नागरिक एवं राजनीति अधिकार जिनको तुरंत अमल में लाना जरूरी होता है , इनमें भेदभाव , सजा मुकदमें में निष्पक्ष सुनवाई , बालको के लिए अलग न्याय व्यवस्था का अधिकार , जीवन का अधिकार , राष्ट्रीयता का अधिकार और दोबारा परिवार के साथ रहने का अधिकार शामिल है।

तत्कालीन/सुरक्षा का अधिकार

सुरक्षा की जरूरत सभी बच्चो की होती है लेकिन कुछ बच्चो की स्थिति दूसरो से ज्यादा संवेदनशील होती है । अतः इस प्रकार के बच्चो पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ।

- बेघर बच्चे (फुटपाथ , उजाडे गये बच्चे , शरणार्थी)
- प्रवासी बच्चे
- सडको पर रहने वाले
- अनाथ या छोडा दिए गए बच्चे
- कामकाजी बच्चे
- वेश्याओ के बच्चे
- बाल वेश्याऐ
- खरीदे बेचे गए
- हिसंक हालात में फंसे बच्चे
- प्राकृतिक अपदाओ से प्रभावित बच्चे 3
- H.I.V / एडस के शिकार बच्चे
- लाइलाज बिमारियो से पीडित बच्चे
- निःशक्त बच्चे
- गुमशुदा बच्चे
- भीख मांगने वाले बच्चे
- SC व ST के बच्चे
- मनोरंजन और खेल – ऊंट दौड और सर्कस

इन सारी श्रेणियो में बच्चियां ज्यादा खतरे में होती है।

जे.जे. एक्ट 2015 संशोधित 2021 अधिनियम

- नबालिक अपराधियो की आयु सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है।
- यह एक्ट जघन्य अपराधो में संलिप्त 16–18 साल के किशोरो के ऊपर व्यस्को के समान मुकदमें चलाने की इजाजत अेता है।
- जे. जी. बी. तय करेगा कि किसी बच्चे पर बालिक की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं
- बच्चो के खरीद फरोख्त से जुडे अपराधे में 5 साल की सजा और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है।

- 16 से 18 साल की आयु वर्ग के किशोरो को अवैध पदार्थ जैसे ड्रग्स या शराब के कब्जे और अपराध के लिए एडल्र की तरह ट्रीट किया जा सकता है।
- सी. डब्लु. सी. तत्काल सुरक्षा वाले बच्चो को किसी बाल संरक्षण गृह में रखने या उसे गोद देने या कोई अन्य उपाय (स्पासंर शीप आक्टरकेयर या फोस्टर फेयर) करने का फैसला लेती है।
- फोस्टर केयर तें C.W.C. द्वारा अनाथ/परित्याग और अभ्यर्पित बालक जो दत्तक ग्रहण हेतु वैज्ञानिक रूप से नियुक्त घोषित किये जा चुके है को फॉस्टर केयर में दिया जा सकता है।
- 6 से 8 वर्ष आयु के बालक जिन्हे दत्तक ग्रहा के लिये दत्तक ग्रहक के लिए वैज्ञानिक रुप से निर्मुम्त घोषित किये 2 वर्ष पूर्व हो चुके है किंतु वे दत्तक ग्रहण में नहीं जा सके हैं।
- 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए वैघानिक रुप से निर्मुम्त घोषित किये । वर्ष पूर्ण हो चुके है कितुं वे दत्तक ग्रहण में नहीं जा सके हैं ।
- विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बालक जिन्हे दत्तक ग्रहण के लिए वैज्ञानिक रुप से निर्मुम्त घोषित किए । वर्ष पूर्ण हो चुका है कितुं वे दत्तक ग्रहण में नहीं जा सके है। ।

स्पांसर शीप का निर्णय धारा 45 के अंतर्गत लिया जाता है यह व्यक्ति , समूह और समाज दे सकता है। यह कार्यक्रम जिला स्तरीय बालक प्रोटेक्शन और केयर संस्था के द्वारा चलाया जाएगा

इसमें वो बालक आते है जिनके परिवार एकल है मां तलाक शुदा हो या परिवार के द्वारा निकाल दी गई हो

- जो बच्चे आरफन हो और किसी परिवार के साथ रह रहा हो
- जो पालक किसी गंभीर बिमारी से पीडित हो
- जो माता पिता गंभीर दुर्घटना के शिकार हो आर्थिक दृष्टि से बच्चो की सुरक्षा करने में असर्मथ हों ।
- स्पासंरशीप लेने वाले परिवार को शासन द्वारा बच्चो की केयर के लिए आर्थिक मदद दी जाती है ।
- 18 वर्ष पूर्व होने के बाद उसे अपने पैरो पर खड़े होने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

स्पान्सर शीप बालक को संस्था छोड़ने के बाद 21 वर्ष की उम्र तक दी जा सकेगी और विशेष स्थितियों में उमें उमें 2 वर्ष तक और बढाया जा सकता है।

आफटरकेयर

- बालक प्रोवेशन अधिकारी या बोर्ड या कमेटी किसी बालक की उम्र 18 वर्ष होने के दो माह पहले सूची तैयार करेगा और यह तय करेगा कि अब बाालक को कहा भेजा जा सकता है। राज्यशासनऐसे बच्चो की केयर के लिए अनुदान देगा जो सीधे बालक के खाते जमा होगा
- अस्थायी रुप से 6 से 8 व्यक्तियों के लिए किराये के मकान की सुविधा के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक के लिए स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति उस समय तक के लिए जब तक वह नौकरी प्राप्त नहीं कर लेता या उसकी जीविका का प्रबंध नही हो जाता अथवा उच्च शिक्षा पूरी नहीं हो जाती ।
- राष्ट्रीय कौशल विकाश या राज्यस्तरीय प्रशिक्षक संस्थाओ में उसे प्रशिक्षक की सुविधा दी जा सकती है ।
- कढिनाइयों को सुलझाने के लिए उसे एक मार्गदर्शक की सुविधा भी जायेगी । उस निमार्ण परक कार्यो की ओर प्रेरित करने के लिए भी प्रयत्न किए जा सकते है ।
- प्रशिक्षक के बाद उसे लोन या अनुदान भी दिया जा सकता हो

बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 के अनुसार बच्चे का शारीरिक एंव मानसिक उत्पीडन नही किया जा सकता है । इस प्रावधान का उल्लघंन करने वाले के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही (सेवा नियमो के अनुरुप) की जा सकेगी ।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 82 के अनुसार किसी बालक को अनुशासनबद्व करनं के उद्देश्य से जानबूझकर शारीरीक दंड देने पर दोषी व्यक्ति को प्रथम दोष सिद्वि पर दस हजार रुपये के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकगी या जुर्मान से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

नागरिक अधिकार सुरक्षा कानुन 1955 के अनुसार "किसी एस सी जाति के व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से पुकारना अपराध है" जिसके लिए सजा दी जा सकती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति "चमार" जाति के व्यक्ति को "चमार" कहकर पुकरता है तो गलत करता है।

सर्वशिक्षा अभियान (2000) में कहा गया है कि "किसी भी तरह और किसी भी निःशक्तता से ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को सही वातावरण में पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए

हमारे संविधान में सभी नागरिको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए है जो HIV पॉजीटीव लोगो पर भी बराबर लागू होते है ये अधिकार इस प्रकार है।

1. सोच समझकर सहमति देने का अधिकार
2. गोपनीयता का अधिकार
3. भेदभाव से बचाव का अधिकार

भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार "7 वर्ष या कम आयु के बच्चो को किसी भी अपराध में दंडित करना वर्जित है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 125 के अनुसार "संतान चाहे वैध हो या अवैध पोषण का हकदार होगा" सी. आर. सी. के अनुच्छेद 4 के अनुसार "सुरक्षा संबंधी अधिकार अधिकार तात्कालिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं इन अधिकारो पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए और तत्काल कारवाई की जानी चाहिए "

संक्षेप में

भारतीय संविधन सभी बच्चो को कुछ खास अधिकार प्रदान करना है जैसे –

1 शिक्षा का अधिकार
2 पौष्टिक आहार का अधिकार
3 अभिव्यक्ति का अधिकार
4 स्वास्थय या देखभाल का अधिकार
5 शोषण से संरक्षण का अधिकार
6 सूचना का अधिकार
7 विकास का अधिकार
8 राष्ट्रीयता का अधिकार
9 मनोरंजन का अधिकार
10 बालक खाने , खेलने और कला बनाने के लिए स्वतंत्र है
11 भय व चिंता से दूर रखे
12 बालक को माता पिता के प्रेम का पूर्ण अधिकार होता है
13 बाल मजदूरी के लिए मना करने का अधिकार
14 मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने का अधिकार
15 भागीदारी का अधिकार है
16 मानव व्यापार से सुरक्षा का अधिकार
17 बच्चो को मानसिक , समाजिक , शैक्षिक , व्यवसायिक , और शारीरीक स्वास्थय का अधिकार है ।
18 स्वतंत्रता का अधिकार
19 बालक को अवकाश (किसी काम में) का अधिकार हो
20 बालक को परिवार में सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो व तत्कालिक सुरक्षा भी बच्चो की दी जाए ।